रेरा ने किया पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन के ऑडिटर को तलब

पटना. रेरा ने बिना रजिस्ट्रेशन छह करोड़ से अधिक रुपये की ग्राहकों से की गयी वसूली को लेकर पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के ऑडिटर को तलब किया है. ऑडिटर पर कंपनी के हिसाब-किताब में फर्जी सर्टिफिकेट के इस्तेमाल का भी आरोप है. वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई सुनवाई में रेरा के वरिष्ठ सदस्य आरबी सिन्हा ने पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन के गोवा सिटी प्रोजेक्ट को लेकर आदेश दिया है. रेरा के अनुसार, पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन का एक भी प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड नहीं है. ऐसे में उससे ग्राहकों से एक रुपया भी लेने का अधिकार नहीं है. इसके बावजूद कंपनी ने छह करोड़ 13 लाख से अधिक रुपए प्रोजेक्ट के नाम पर ग्राहकों से ले लिए जो अवैध है. रेरा के सूत्रों के अनुसार, ग्राहकों से वसूल की गयी राशि इससे कहीं अधिक हो सकती है, कंपनी ने इसमें भी गड़बड़झाला किया है. इसकी जांच भी की जा रही है. ऑडिटर से इसको लेकर भी सवाल जवाब किये जायेंगे. इस मामले में पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन पर तीन केस चल रहे हैं. पहला मामला 2019 में दर्ज किया गया. दिसंबर 2020 और फिर फरवरी 2021 में भी मामले दर्ज किये गये हैं.

Scanned with CamScanner